17

XXXIX(a)BR(H)-11

रामबाबू आदि विरूद्ध लाखन सिंह आदि

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 438—एक/13 जिला – मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-12-14	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 82/2011—12/निगरानी माल में पारित आदेश दिनांक 23.1.13 के विरूद्ध म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मौजा तिलावली स्थित खातों के संबंध में उभयपक्ष के मध्य बटवारा आदेश दिनांक 10.8.07 को पारित किया गया । अनावेदक लाखनसिंह आदि द्वारा इस आदेश के विरूद्ध अवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की जिसमें आवेदकों द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति की गई कि असल अनावेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के सहकृषक नहीं है और न उनका हिस्सा है न उन्होंने भूमि कय की है । यदि वे अपना हित रखते हैं तो उसका निराकरण सिविल न्यायालय से कराया जा सकता है । अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकों द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन को आदेश दिनांक 25.4.12 द्वारा इस आधार पर निरस्त किया कि उक्त आवेदन का निराकरण अंतिम समय किया जायेगा । इस आदेश के विरूद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3— दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये । आवेदक अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है । 4— अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में समवर्ती निर्णय	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ[illegible]का आदि के हस्ताक्षर

हैं । तथाकथित बटवारा आदेश पंजी पर किया गया है जबकि पंजी पर बटवारा आदेश नहीं हो सकता है । इस संबंध में उनके द्वारा 1995 आर.एन. 25 का हवाला देते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया ।

5— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण बटवारे के संबंध में जो आदेश हुए थे उसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील के निराकरण संबंधी है । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकों द्वारा यह आवेदन किया गया कि प्रकरण प्रथमदृष्टि में प्रचलन योग्य नहीं है और अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं है इसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदन का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय किए जाने के आदेश दिए हैं तथा प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर तर्क हेतु नियत किया गया है । इसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी में आलोच्य आदेश पारित हुआ है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के जो निर्णय हैं वे औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक प्रतीत होते हैं आवेदकों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है । अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष सही है कि संहिता की धारा 32 के तहत कोई अतिरिक्त अधिकारिता या शक्ति नहीं है बल्कि प्रकिया या कार्यप्रणाली बावत उपबंध जब मौन हों तब तो आदेश दिया जा सकता है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस स्तर पर प्रकरण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

उभयपक्षों को सूचना दी जाये एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये ।

सदस्य

COURT FEE 10 रु. Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

COURT FEE 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2013 मुरैना

1. रामबाबू
2. मकरंद सिंह,
3. रामपाल
4. गोविन्द सिंह
5. राजबहादुर सिंह पुत्रगण कप्तान सिंह, जाति सिकरवार ठाकुर, निवासीगण ग्राम तिलावली, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

.... निगरानीकर्तागण

R 438-I/13

बनाम

1. जाहन सिंह
2. शिवदत्त सिंह पुत्रगण प्रयागसिंह सिकरवार, जाति ठाकुर, निवासीगण ग्राम तिलावली, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)
3. बाबूलाल
4. मुरारी
5. हरीपाल
6. गोरेलाल
7. दर्शनलाल पुत्रगण काशीराम जाति कुशवाह, निवासी ग्राम मेड़ा परगना जौरा जिला मुरैना
8. रेवती पुत्री काशीराम पत्नी श्रीपंचम, जाति कुशवाह, निवासी– ग्राम– जौनारा, परगना जौरा, जिला मुरैना
9. चन्दनिया पुत्री काशीराम पत्नी लाखन सिंह कुशवाह, निवासी ग्राम पचेखा, तहसील कैलारस जिला मुरैना
10. श्रीमती प्रयागों पुत्री काशीराम पत्नी लक्ष्मण कुशवाह निवासी ग्राम पेड़ा, परगना जौरा, जिला मुरैना
11. धनवंती पुत्री परसादी कुशवाह
12. छिद्दा पुत्री उमराय कुशवाह, निवासी ग्राम पेड़ा, तहसील जौरा, जिला मुरैना

श्री कुंवरसिंह कुशवाह, अभि. द्वारा आज दि. 1-2-13 को प्रस्तुत

1-2-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

कुंवरसिंह कुशवाह (एडवोकेट)
01-02-2013

(2)

13. रतन सिंह पुत्र हरप्रसाद जाति कुशवाह, निवासी– ग्राम तालपुरा, तहसील जौरा, जिला मुरैना
14. मुन्ना पुत्र शंकरिया कुशवाह
15. रम्पों उर्फ रम्मो पुत्री शंकरिया कुशवाह
16. सलिका
17. ल्हौरे पुत्रगण कमता कुशवाह
18. सुन्दरिया
19. भगो
20. फूलों पुत्रीयान कमता कुशवाह समस्त जाति कुशवाह, निवासी ग्राम पेड़ा, तहसील जौरा,जिला मुरैना
21. जयसिंह
22. मनराखन सिंह पुत्र रेशम सिं
23. शारदाबाई पुत्री रेशम सिंह
24. पदम सिंह
25. फेरन सिंह
26. जगदीश सिंह
27. रामवीरसिंह
28. ध्रुव सिंह
29. वकील सिंह पुत्रगण बज्र सिंह, जाति सिकरवार ठाकुर, निवासीगण–ग्राम तिलावली, तहसील जौरा, जिला मुरैना
30. हाकिम सिंह
31. लाखन सिंह
32. मेघ सिंह
33. छोटे सिंह पुत्रगण अजमेर सिंह, जाति सिकरवार ठाकुर, निवासीगण– ग्राम तिलावली, तहसील जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.)

..अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता